ग्राम पंचायत के कामों पर निगरानी का अधिकार

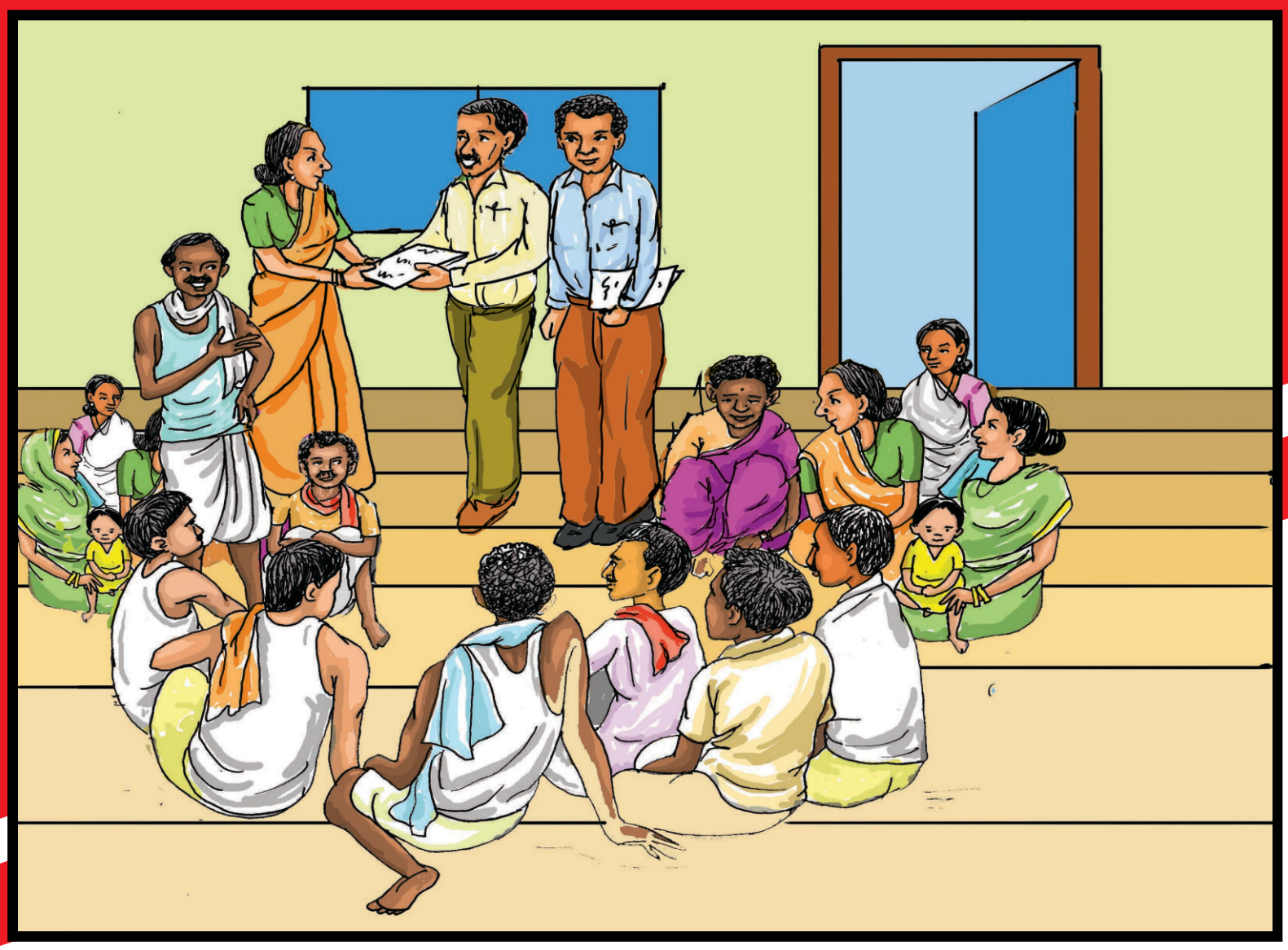

ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले भी खर्चो और कार्यो पर ग्राम सभा को निगरानी करने का अधिकार है। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कार्यो पर चर्चा की जाएगी तथा ग्राम सभा के सदस्य मुखिया से उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। ग्राम सभा का कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत का हिसाब–किताब देख सकता है। ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सचिव का कर्तव्य है कि वे ग्राम पंचायत के आय–व्यय का पूरा विवरण ग्राम सभा को बताएं एवं हिसाब–किताब के सभी दस्तावेज ग्राम सभा में रखें।

phia to end poverty

ग्राम स्वशासन अभियान
(आसरा, संवाद, अराउज़, लोक जागृति केंद्र)

Azim Premji Philanthropic Initiatives